

के अधिक बिजली की और उनको जो बेतन दिया गया वह रजिस्ट्रों में दिखाये गये बेतन के कम है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस फर्म के मामले में प्रायकर का निर्धारण करते समय इस बात को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का कोई कर्मचारी नहीं था।

(ग) सवाल ही नहीं उठता।

सहाय्य के बिजली की सप्लाई

7747. श्री कुशोक बाकुला : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहाय्य जिले में बिजली की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने किलोवाट बिजली की व्यवस्था की गई है तथा किन किन स्थानों पर बिजली की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत दस वर्षों में सहाय्य के लोगों की बिजली संबंधी मांग को पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० स० राय) : (क) जी, हां।

(ख) 20 किलोवाट का एक डीजल केन्द्र लेह में।

20 किलोवाट का एक डीजल केन्द्र कागिल में।

3 किलोवाट लघु पन-बिजली केन्द्र नुरला में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Fixation of Rent of Government Buildings in Chandigarh

7775. Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Valmiki Chandhary:

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1238 on the 1st June, 1967 and state:

(a) whether Government have since decided the question of fixing the rent for the buildings being used by the Governments of Punjab and Haryana in the Union Territory of Chandigarh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when it is likely to be finalised?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c). The matter is still under consideration.

Excise Duty on Dyeing of Knitting Wool:

7776. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1234 on the 1st June, 1967, and state:

(a) whether Government have since considered the memorandum regarding the withdrawal of Central Excise Duty on dyeing of knitting wool;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, when a decision is likely to be taken thereon?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c). The matter is still